

प्रेषक

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिसार।

सेवा में

टैगोर शिक्षा समिति,
गाँव बड़वा, तहसील सिवानी,
जिला सिवानी।

यादि कमाक ५०७८

दिनांक

१५/१०/०७

विषय:

अनापत्ति प्रगाण पत्र प्रदान करने वारे – टैगोर शिक्षा समिति, गाँव बड़वा,
तहसील सिवानी, जिला सिवानी।

हवाला:

जिला नगर योजनाकार, सिवानी के यादि कमाक ५०२२ दिनांक
२८-१०-२००७ के सन्दर्भ में।

अवधार करवाया जाता है कि जिला नगर योजनाकार, सिवानी कार्यालय से हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत प्रातः रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा गाँव बड़वा तहसील सिवानी, जिला सिवानी के खो नं २४०/१९२, २०/२, २०/१२, २१, २२ कुल भूमि २५ करोड़ ०१ मरला में शैक्षणिक संस्थान हेतु भवन बनाया जाना है। प्राप्त विवरण अनुसार आवेदित स्थल इस विभाग द्वारा धोषित शहरी क्षेत्र सिवानी के अन्दर पड़ता है तथा वर्तमान समय में किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। जिला नगर योजनाकार, सिवानी से हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत प्रातः रिपोर्ट अनुसार विषयक केस में शहरी क्षेत्र अधिनियम १९७ की धारा ७(१) की उल्लंघन नहीं होती है। आवेदित स्थल हिसार राजगढ़ राम नं ६५ से निकलने वाले ६ करम चौड़े राजरव रासे पर पड़ता है। अतः प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के मध्यनगर विषयक स्थल पर उपरोक्त सौमायी द्वारा शैक्षणिक संस्थान हेतु भवन बनाने पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

1. यह अनापत्ति प्रगाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एकत्र से एवं धाराओं से कुछ प्रदान नहीं करता है।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवं कानून लागू होंगे।
3. विकास शुल्क एवं अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मार्गे जाने पर ३० दिन के अन्दर अन्दर दैय होगी।
4. आवेदित स्थल पर निर्माण आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग से अनुमति एवं उपचुक्त कार्यालय से यथार्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
5. आवेदित स्थल से सम्बन्धित पहुंच एवं दूरियां सम्बन्धित विभाग द्वारा दैक एवं वैरिफाई किए जाएंगे तथा राम नं ६५ की ६० मी० चौड़ी वर्जिरा पट्टी में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
6. उपरोक्त नियमी भी राई को पूरा ना किए जाने की हालत में यह अनापत्ति प्रगाण पत्र अपने आप रद्द हो जाएगा।


वरिष्ठ नगर योजनाकार,

हिसार परिमण्डल, हिसार।

दिनांक

पृष्ठ कमाक

प्रति निम्नलिखित की सुनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती

है।

- 1- वरिष्ठ नगर योजनाकार (इ. एण्ड वी.) हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 2- जिला नगर योजनाकार, सिवानी को हवालाधीन पत्र के रांदर्भ में।

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिसार।